भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 214
उत्तर देने की तारीख : 01.08.2022

शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं

†*214. श्री धर्मेन्द्र कश्यप :
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और उसमें सुधार लाने के लिए देश में शिक्षा से संबंधित चलाई जा रही परियोजनाओं का विवरण राज्य/जिला-वार क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उच्च शिक्षा परियोजनाओं पर राज्य/जिला-वार खर्च की गई कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार शिक्षा से संबंधित ऐसी परियोजनाओं/योजनाओं के प्रभाव की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में शिक्षा से संबंधित ऐसी परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

'शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र कश्यप और श्री हँसमुखभाई एस. पटेल द्वारा दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): राज्य सरकारों के सहयोग से शैक्षिक प्रणाली को बढ़ावा देने और इसमें सुधार करने के लिए देश में शैक्षिक परियोजनाएं शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत चलाई जाती हैं। रूसा में राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप समरूपता और अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क के रूप में प्रत्यायन प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए; ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली संस्थाओं तक पहुँच

सुविधा द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को सही करते हुए मौजूदा राज्य उच्च शिक्षण संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया गया है। रूसा के तहत देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को विभिन्न घटकों जैसे इक्विटी पहल, विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान, कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान आदि के तहत सहायता मुहैया की जाती है। रूसा की योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार निधि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि इस योजना के तहत विभिन्न इकाइयों की संख्या और इन इकाइयों के लिए स्वीकृत राशि (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित राज्यवार) का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। रूसा योजना के तहत शैक्षिक परियोजनाओं के लिए पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। जिलावार अनुमोदित एवं जारी की गई निधियों का विवरण यूआरएलः https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Districtwise_details_under_RUSA.pdf. पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) : देश में इन शैक्षिक परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार नियमित रूप से आवधिक समीक्षा बैठकों और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से उनकी निगरानी करती है।

***

अनुलग्नक-I

'शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र कश्यप और श्री हँसमुखभाई एस. पटेल द्वारा दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (क) से (ग) के विवरण में संदर्भित अनुलग्नक

रूसा के तहत स्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	अनुमोदित केंद्रीय भाग
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	33.33	33.33
2	आंध्र प्रदेश	138	862.54	520.94
3	अरुणाचल प्रदेश	51	149.7	125.25
4	असम	249	774.19	678.29
5	बिहार	78	376.12	227.16
6	चंडीगढ़	18	96.96	96.96
7	छत्तीसगढ़	89	433.29	261.69
8	दादरा और नगर हवेली	3	10.97	8.3
9	दमन और दीव	4	11.34	11.34
10	दिल्ली	1	6.06	3.66
11	गोवा	27	97.97	59.17
12	गुजरात	100	463.84	259.58
13	हरियाणा	67	467.17	282.17
14	हिमाचल प्रदेश	84	319.16	287.56
15	जम्मू और कश्मीर	62	576.47	509.73
16	झारखंड	94	630.24	380.64
17	कर्नाटक	144	816.08	492.88
18	केरल	163	573.68	346.48
19	लद्दाख	5	14.09	9.48
20	मध्य प्रदेश	106	569.64	344.04
21	महाराष्ट्र	94	864.28	514.39
22	मणिपुर	108	195.93	176.53
23	मेघालय	36	154.53	139.23
24	मिजोरम	117	146.55	132.04
25	नगालैंड	29	150.76	135.84
26	उड़ीसा	166	929.2	561.2
27	पुदुचेरी	16	120.19	72.59
28	पंजाब	67	442.23	255.2
29	राजस्थान	130	617.11	372.71
30	सिक्किम	64	132.71	119.57
31	तमिलनाडु	110	918.39	554.67
32	तेलंगाना	75	512.07	309.27
33	त्रिपुरा	28	108.47	97.73
34	उत्तर प्रदेश	138	917.08	553.88
35	उत्तराखंड	67	306.5	276.15
36	पश्चिम बंगाल	207	905.97	547.17
उप योग		2942	14704.81	9756.83
यूनिट, जिनका राज्य वार आवंटन नहीं हुआ (जैसे प्रिप्रेटरी ग्रांट्स और एमएमईआर ऑफ रूसा 2.0 और सेंट्रल एमएमईआर)		30	142	110.5
सकल योग		2972	14846.81	9867.33

अनुलग्नक- II

'शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री धर्मेन्द्र कश्यप और श्री हँसमुखभाई एस. पटेल द्वारा दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (क) से (ग) के विवरण में संदर्भित अनुलग्नक

रूसा योजना के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2	आंध्र प्रदेश	86.42	100.10	52.08	36.64	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	25.58	25.20	8.10	0.00	0.00
4	असम	122.17	161.18	14.40	0.00	9.90
5	बिहार	11.10	1.50	70.50	0.00	6.45
6	चंडीगढ़	10.00	11.00	6.80	11.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	39.72	30.30	66.45	0.00	0.00
8	दादर और नगर हवेली	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	13.80	12.90	8.85	0.00	4.65
12	गुजरात	27.55	40.26	30.24	6.00	0.00
13	हरियाणा	17.74	70.72	25.24	0.00	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	40.88	29.55	34.34	0.90	16.07
15	जम्मू और कश्मीर	73.33	59.25	88.45	4.94	0.00
16	झारखंड	28.50	47.40	67.95	12.42	23.49
17	कर्नाटक	87.24	65.49	69.75	0.00	4.50
18	केरल	13.48	82.35	14.40	0.00	8.70
19	लद्दाख	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.39	85.65	38.70	0.00	12.30
21	महाराष्ट्र	57.00	45.18	87.70	0.00	39.50
22	मणिपुर	35.65	13.05	14.18	18.95	20.08
23	मेघालय	8.10	20.10	24.74	5.85	0.00
24	मिजोरम	27.06	21.07	13.41	10.17	5.40
25	नगालैंड	25.18	5.40	34.15	0.00	0.00
26	उड़ीसा	77.90	68.55	34.51	5.04	20.90
27	पुदुचेरी	5.06	7.80	2.04	0.00	0.00
28	पंजाब	33.60	32.20	22.75	0.00	14.65
29	राजस्थान	53.70	60.30	55.07	13.05	0.00
30	सिक्किम	11.04	22.50	8.33	1.35	0.00
31	तमिलनाडु	35.75	44.80	135.57	0.00	14.45
32	तेलंगाना	32.49	41.71	55.08	14.55	0.00
33	त्रिपुरा	0.00	8.51	11.72	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	137.11	0.00	81.01	18.12	5.40
35	उत्तराखंड	20.28	33.38	47.33	2.25	30.46
36	पश्चिम बंगाल	48.00	124.00	47.07	8.75	12.25
	योग	1241.28	1379.65	1272.46	169.98	249.13

नोट: चूंकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पर्याप्त बकाया राशि उपलब्ध है, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई है

***